

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

// अदेश //

भोपाल दिनांक 28/02/2019

कमांक / 28/3902/2018/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 05/01/2019 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने पर इनकी अनुशांसा "परिश्रमण" में रखी गई है। गोपनीय प्रतिवेदन, संचालनालय, आयुष से प्राप्त होंगे तत्समय निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान हेतु समिति विचार करेगी :-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक	समिति की अनुशांसा
1	स्वर्गीय डॉ० तेज सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त आ.चि. अ. जिला खण्डवा (निधन 03.07.2008)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। आगे के वर्ष 2007 एवं 2008 के गोपनीय प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं है। समिति द्वारा दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 03.07.2008 की स्थिति में द्वितीय कार्यान्तर समयमान वेतनमान दिए जाने के संबंध में विचार हेतु संचालनालय, आयुष द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराये जाये। समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए।
2	डॉ. दिलराज सिंह, सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला रीवा (सेवानिवृत्त 31.12.2008)	(द्वितीय कार्यान्तर) (01.04.2006)	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। पूर्व वर्ष 2000, 2001 एव आगे के वर्ष 2007 एवं 2008 के गोपनीय प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं है। समिति द्वारा दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 31.12.2008 की स्थिति में द्वितीय कार्यान्तर समयमान वेतनमान दिए जाने के संबंध में विचार हेतु संचालनालय, आयुष द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराये जाये। समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए।
3	डॉ. रमेश कुमार शिवहरे, सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला गुना (सेवानिवृत्त 31.05.2008)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन में से केवल 2002 का ही गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है। शेष वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। समिति द्वारा दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 31.05.2008 की स्थिति में द्वितीय कार्यान्तर समयमान दिए जाने के संबंध में विचार हेतु संचालनालय, आयुष द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराये जाये। समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए।
4	डॉ० भरत कुमार जैन, सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला खण्डवा (सेवानिवृत्त 31.07.2009)	(द्वितीय कार्यान्तर) 01.04.2006	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन में से केवल 2003 का ही गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है। शेष वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। समिति द्वारा दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 31.07.2009 की स्थिति में द्वितीय कार्यान्तर समयमान दिए जाने के संबंध में विचार हेतु संचालनालय, आयुष द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराये जाये। समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए।




			हेतु संचालनालय, आयुष द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराये जाये। समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए।
12	डॉ०मदनलाल अग्रवाल, सेवानिवृत्त आचिअ, जिला नरसिंहपुर (सेवानिवृत्त 30.06.2010)	द्वितीय कार्योत्तर 01.04.2006	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन में से वर्ष 2003, 2004, 2005 एवं 2006 अनुपलब्ध है। समिति द्वारा दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 30.06.2010 की स्थिति में द्वितीय कार्योत्तर समयमान वेतनमान दिए जाने के संबंध में विचार हेतु संचालनालय, आयुष द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराये जाये। समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए।

2/- उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों द्वारा समयमान वेतनमान की पात्रता वर्ष से विगत पांच वर्षों एवं पश्चातवर्ती वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन कब-कब, किस अधिकारी को प्रस्तुत किये गये है। इसकी जानकारी संबंधित सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारियों से प्राप्त की जाकर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही संचालनालय आयुष द्वारा की जाएगी। अविलम्ब गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त कर संचालनालय, समयमान वेतनमान हेतु बैठक के आयोजन के प्रस्ताव अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराए जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(डॉ०एस.एस.कुमरे)

उप सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

भोपाल, दिनांक 28/02/2019

पृष्ठांकन क्रमांक / 729 / 3902 / 2018 / 1 / 59

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
 - 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
 - 5- संभागीय आयुष अधिकारी, इंदौर, रीवा, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, जबलपुर।
 - 6- जिला आयुष अधिकारी, खंडवा, रीवा, गुना, सागर, शिवपुरी, उज्जैन, शाजापुर, नरसिंहपुर।
 - 7- संबंधित डॉ..... द्वारा-जिला आयुष अधिकारी, जिला खंडवा, रीवा, गुना, सागर, शिवपुरी, उज्जैन, शाजापुर, नरसिंहपुर। उक्त आदेश की एक-एक प्रतियां संबंधित के वर्तमान पते पर तामील कराये। अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की जानकारी संबंधित से प्राप्त कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 8- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग